न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

रेनू मीणा आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी का नाम–

मुकदमा नम्बर – 44 / 2017

राजेन्द्र कुमार पुत्र झाबरमल उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0 — वादी

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र गणपत
2. राजपाल पुत्र दयानंद
3. महेन्द्र पुत्र दयानन्द
4. चावली देवी पत्नि स्व0 मंगलाराम
5. नेमीचन्द पुत्र मंगलाराम
6. किसना पुत्र हुक्माराम
7. झाबरमल पुत्र हुक्माराम
8. चेतराम पुत्र जुंवारा
9. शिशपाल पुत्र नरसा
10. रामेश्वरलाल पुत्र नरसा

    समस्त जाति जाट निवासीगण गाम माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
11. पटवारी, पटवार हल्का माण्डेला बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज0
12. तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज0 — प्रतिवादीगण

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता

श्री इमरानखान – वादी

श्री विधाधर सैन – प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

निर्णय

दिनांकः— 10.01.2018

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नंबर 41 रकबा 8.0400 हैक्टर वाके ग्राम माण्डेला बड़ा तहसील फतेहपुर में स्थित है। खसरा नंबर 41 में से एन.एच.65 सड़क निकल जाने से उसके खसरा नंबर जरिये नामान्तरकरण संख्या 731 के द्वारा खसरा नंबर 41 के तीन टुकड़े कर दिये जिसमें में से खसरा नंबर 41/2 रकबा 1.29 हैक्टयर जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.65 गै. मु. सड़क के नाम से खातेदारी दर्ज हुई व खसरा नंबर 41/1 रकबा 0.86 हैक्टयर व खसरा नंबर 41/3 रकबा 5. 89 हैक्टयर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम खातेदारी दर्ज हुई।

दावे के पैरा नंबर 1 में वर्णित भूमि में से पूर्व खातेदारान मंगला किशना झाबर पुत्रगण हुक्माराम व नारायणी पत्नि हुक्माराम से वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 0.79 हैक्टयर भूमि क्रय की गई। उक्त विक्रय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वादी के नाम नामान्तरण स्वीकार होकर खातेदार दर्ज हुई तथा वादी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 655 के द्वारा अपना नाम शुद्धिकरण करवाया। अब उक्त भूमि में से भा0रा0रा0संख्या 65 निकल जाने से वादी की उक्त भूमि 0.79 हैक्टयर में से भूमि अवाप्त होकर मौके पर व राजस्व रिकार्ड में वादी की 0.6633 हैक्टयर भूमि शेष रही है।

विवादित आराजी पर पक्षकारान ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर मौके पर सींव नींव कायम कर रखी है तथा मौके पर काश्त कर रहे हैं वादी अपली क्रयशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है वादी अपने हिस्सा भूमि खसरा नंबर 41/1 के उत्तरी पश्चिमी कोने की 0.6633 हैक्टयर भूमि पर काबिज होकर साधिकार काश्त कर रहा है। परन्तु वादग्रस्त आराजी किा विधिवत विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर नहीं हुआ है।

दावे के पैरा नंबर 1 में वर्णित आराजी का बाईमीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नहीं होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 आये दिन वादी के कब्ज काश्त, उपयोग उपभोग में दखल करते रहते हैं इसलिये वादी की 0.06633 हैक्टयर भूमि पर बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर अलग से खसरा नंबर व लगान कायम किया जाना प्रार्थनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 अपने नाम बने उक्त भूमि की खातेदारी की आड़ में वादी की उक्त क्रयशुदा भूमि के भौतिक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे दखल देने, उक्त भूमि का बिना विभाजन करवाये विक्रय अथवा अन्यथा अन्तरण कने करवाने को तत्पर हैं जिससे वादी के उक्त भूमि के हक अधिकार व कब्जा आक्रमणग्रस्त होकर वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तदर्थ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना सर्वथा उचित आवश्यक व न्यायोचित है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की उक्त अवैध हरकतों से वादी के लिये अब उक्त भूमि में अपने हिस्सा भूमि अनुसार व भौतिक कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करवाना चाहता हैं जिसका उसे हक अधिकार है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को उक्त भूमि के वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल देने से उक्त भूमि का विक्रय अथवा अन्याथा अन्तरण करने करवाने से बाज रहने को कई बार कहा मगर वे अब 2 दिन से साफ इंकार हैं अतः यह वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ जिसका बाद कारण व हक नालिश वादी को हासिल है।

वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में से वादी के हक कब्जे काश्तशुदा भूमि रकबा 0.6633 हैक्टयर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर अलग से खसरा नंबर व लगान कायम किया जावे, इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि दावे की पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में से भूमि रकबा 0.6633 हैक्टयर भूमि भाग अथवा इसके किसी भाग अनुभाग का विक्रय अन्यथा अंतरण करने करवाने तत संबंधी किसी प्रकार का अंतरण पत्र लिखने लिखवाने तथा पंजीकृत करने करवाने से तथा उक्त भूमि के वादी के भौतिक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखल देने दिलाने से मय अपने परिजन प्रतिनिधी नौकर व एजेन्ट आदि बाज रहें।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

आदेश

अतः वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम माण्डेला बड़ा की भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 8.0400 है0 का बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार फतेहपुर द्वारा जरिये क्रमांक 79 दिनांक 10.01.2018 प्राप्त हुआ। अतः तहसीलदार फतेहपुर से बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार जारी की जाती है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	प्रस्तावित खसरा नंबर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान
1	चेतराम पुत्र जुबारा हि. रकबा 0.75 है. राहिन आरजीबी शाखा फतेहपुर मुर्तहीन रामेश्वरलाल पुत्र नरसा हि.0.75 है. राहिन आरजीबी शाखा फतेहपुर मुर्तहीन नेमीचन्द पुत्र गणपत हि. रकबा 1.125 है. राजपाल सिंह, महेन्द्र सिंह पि0 दयानन्द हि. रकबा 1.125 है. हि.ब. शिशपाल पुत्र नरसा हि. रकबा 0.75 है. नेमीचन्द पुत्र मंगलाराम हि. रकबा 0.8172 है. चावली धर्मपत्नि स्व. मंगलाराम हि. रकबा 0.1539 है. किशना, झाबर पि. हुक्मा हि. रकबा 0.6156 है. हि.ब. जाति जाट सा. माण्डेला छोटा	41/1/1	0.1767	बा. 1	0.88
		41/1/3	0.02	बा. 1	0.10
		किता 2	0.1967	बा.1	0.98
2	राजेन्द्र कुमार पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी माण्डेला छोटा	41/1/2	0.6633	बा. 1	3.21

अतः उपरोक्तानुसार पक्षकारान का बंटवारा किया जाकर खाता व लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

शेष खाता एनएच 65 की भूमि अवाप्ति से विभाजित होकर विभाजित खसरे 41/2 रकबा 1.29 किस्म गै. मु. सड़क की खातेदारी एनएचआई के नाम हो चुकी है व ख. नं. 41/1 रकबा 0.86 है., ख. नं. 41/3 रकबा 5.89 है0 की खातेदारी खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर ख. नं. 41/1 रकबा 0.86 है. का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया गया।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास........रे[illegible] मीणा (आर.ए.एस..)..

राजेन्द्र [illegible]ार पुत्र झाबरमल उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर जिला [illegible]र राज0

वादी

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र गणपत
2. राजपाल पुत्र दयानंद
3. महेन्द्र पुत्र दयानन्द
4. चावली देवी पत्नि स्व0 मंगलाराम
5. नेमीचन्द पुत्र मंगलाराम
6. किसना पुत्र हुक्माराम
7. झाबरमल पुत्र हुक्माराम
8. चेतराम पुत्र जुंवारा
9. शिशपाल पुत्र नरसा
10. रामेश्वरलाल पुत्र नरसा

    समस्त जाति जाट निवासीगण गाम माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
11. पटवारी, पटवार हल्का माण्डेला बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज0
12. तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

मुकदमा नं. 44 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे

व हाजिरी श्री इमरानखान एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री विधाधर सैन

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम माण्डेला बड़ा की भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 8.0400 है0 का बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार फतेहपुर द्वारा जरिये क्रमांक 79 दिनांक 10.01.2018 प्राप्त हुआ। अतः तहसीलदार फतेहपुर से बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार जारी की जाती है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	प्रस्तावित खसरा नंबर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान
1	चेतराम पुत्र जुबारा हि. रकबा 0.75 है. राहिन आरजीबी शाखा फतेहपुर मुर्तहीन रामेश्वरलाल पुत्र नरसा हि.0.75 है. राहिन आरजीबी शाखा फतेहपुर मुर्तहीन नेमीचन्द पुत्र गणपत हि. रकबा 1.125 है. राजपाल सिंह, महेन्द्र सिंह पि0 दयानन्द हि. रकबा 1.125 है. हि.ब. शिशपाल पुत्र नरसा हि. रकबा 0.75 है. नेमीचन्द पुत्र मंगलाराम हि. रकबा 0.8172 है. चावली धर्मपत्नि स्व. मंगलाराम हि. रकबा 0.1539 है. किशना, झाबर पि. हुक्मा हि. रकबा 0.6156 है. हि.ब. जाति जाट सा. माण्डेला छोटा	41/1/1	0.1767	बा. 1	0.88
		41/1/3	0.02	बा. 1	0.10
		किता 2	0.1967	बा.1	0.98
2	राजेन्द्र कुमार पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी माण्डेला छोटा	41/1/2	0.6633	बा. 1	3.21

अतः उपरोक्तानुसार पक्षकारान का बंटवारा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगें।

(शेष खाता एनएच 65 की भूमि अवाप्ति से विभाजित होकर विभाजित खसरे 41/2 रकबा 1.29 किस्म गै. मु. सड़क की खातेदारी एनएचआई के नाम हो चुकी है व ख. नं. 41/1 रकबा 0.86 है., ख. नं. 41/3 रकबा 5.89 है0 की खातेदारी खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर ख. नं. 41/1 रकबा 0.86 है. का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया गया।)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

मित्र.......–..............................मुबलिग................–.....................बाबत.........................–....................

खर्चा इस मुकदमें के मय शूद बशरह.................–..........................फीसदी सालाना आज की तारीख से त
अदायगी तक..का अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....10......माह ......जनवरी.........सन् 2018
की गई।

दस्तखत...
मुहर
ओहदा.. उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैस
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	3			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या न

यह
एडवो
तहसी
नम्बर
खसरा
उभय प
f
खर्चा इस मुक

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

फतेहपुर (सी